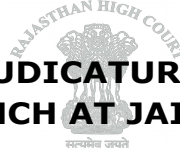




**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14119/2025

Surajmal S/o Laxminarayan, Aged About 68 Years, R/o Dhani Regran, Near Reliance Petrol Pump, Niwai At Present R/o Shivaji Colony, Gali No. 13, Kasba Niwai, P.s Niwai, District Tonk (Raj.)
(At Present Confined In District Jail Tonk).

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. S.R. Choudhary for Mr. Mohd Isaq Abbasi
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

14/11/2025

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना निवाई जिला टोंक में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 216/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 340(2), 318(4), 338, 336(3), 336(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, लंबे समय से अभिरक्षा में है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।



मैंने जमानत प्रार्थना पत्रों के संबंध में उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पूर्व में परिवादी को आवासीय कॉलोनी सुर्य मोहन नगर में भूखंड संख्या 31 को बेचान करना और उक्त भूखण्ड को उत्तर की ओर सार्वजनिक रास्ता 30 फिट चौड़ा बताया जाना, तत्पश्चात उक्त सार्वजनिक रास्ते को पुनः भूखण्ड के रूप में अन्य को बेचान किए जाने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध 3 आपराधिक रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में है, प्रकरण प्रथम मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त की उम्र 68 वर्षीय होना बताया गया है, विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी-अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण-दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी-अभियुक्त को सशर्त जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **सूरजमल पुत्र लक्ष्मीनारायण** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र सशर्त स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु **एक लाख रुपये** का बन्ध-पत्र तथा **पचास-पचास हजार रुपये** की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावे तो हस्तगत प्रकरण में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए। यदि प्रार्थी-अभियुक्त द्वारा भविष्य में अपराध कारित किया जाता है तो संबंधित लोक अभियोजक उक्त आधार पर प्रार्थी-अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J